

मद 4 (1) (ख) - (viii)

बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों का विवरण, जिनमें दो या उससे अधिक व्यक्ति शामिल हैं और जिनका गठन इसके भाग के रूप में अथवा इसे परामर्श देने के प्रयोजन के लिए किया गया है। चाहे इन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली हों या न हों अथवा इन बैठकों के कार्यवृत्त जनता की पहुंच के लिए हों या न हों।

8. सार्वजनिक प्राधिकारी से संबंधित बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की सूचना:-

बोर्ड/समितियां	सदस्य	अभ्युक्ति
बोर्ड		
निदेशक मंडल	<ol style="list-style-type: none"> 1. डॉ. ज. मो. फाटक-अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक 2. श्री हरि दास खुंटेटा - निदेशक (वित्त) 3. श्री गुलजीत कपूर- निदेशक (तकनीकी) 4. श्री देवेन्द्र सिंह-निदेशक(सरकारी नामिती) 5. श्री वेणुगोपाल एन. धूत- निदेशक(स्वतंत्र प्रभार) 6. डॉ. मारापल्ली गोविन्द राव-निदेशक(स्वतंत्र प्रभार) 7. श्री पी. आर. बालासुब्राहमणियन-निदेशक(स्वतंत्र प्रभार) 8. डॉ. देवी सिंह--निदेशक(स्वतंत्र प्रभार) 	निदेशक मंडल का वर्तमान संघटन सूचीकरण करार के खंड 49(1)(क)(i) के खंड के अनुसार है।
निदेशक मंडल की समितियां		
लेखा परीक्षा समिति	<ol style="list-style-type: none"> 1. डॉ. एम. गोविन्द राव, निदेशक(स्वतंत्र प्रभार)-अध्यक्ष 2. डॉ. देवी सिंह-निदेशक (स्वतंत्र प्रभार)-सदस्य 3. श्री पी. आर. बालासुब्राहमणियन-निदेशक(स्वतंत्र प्रभार)-सदस्य 	कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 292(ए) और सूचीकरण करार के खंड 49(11) और मॉडल सूचीकरण करार के खंड 2.18(11) के तहत अपेक्षित
शेयर होल्डर/निवेशक शिकायत समिति	<ol style="list-style-type: none"> 1. श्री देवेन्द्र सिंह, सरकारी नामिती निदेशक- अध्यक्ष 2. श्री हरि दास खुंटेटा, निदेशक (वित्त) -सदस्य 3. श्री गुलजीत कपूर- निदेशक (तकनीकी) -सदस्य 	मॉडल सूचीकरण करार के खंड 2.18 (iv) (छ) (iii) और सूचीकरण करार के खंड 49(iv) (छ) (iii) के तहत अपेक्षित
अल्पकालिक ऋणों और आवधिक ऋणों संबंधी उधार देने की दरों की समीक्षा के लिए उप समिति	<ol style="list-style-type: none"> 1. डॉ. ज. मो. फाटक-अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक-अध्यक्ष 2. श्री हरि दास खुंटेटा - निदेशक (वित्त) 3. श्री गुलजीत कपूर- निदेशक (तकनीकी) - सदस्य 	अल्पकालिक ऋणों(एसटीएल) और आवधिक ऋणों (टीएल) के लिए समय समय पर ब्याज दरें संशोधित करना
डिबेंचर के अलावा उधार लेने के लिए उप समिति	<ol style="list-style-type: none"> 1. डॉ. ज. मो. फाटक-अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक-अध्यक्ष 2. श्री हरि दास खुंटेटा - निदेशक (वित्त) 3. श्री गुलजीत कपूर- निदेशक (तकनीकी) - सदस्य 	बाजार की स्थिति के आधार पर डिबेंचरों के अलावा आवधिक ऋणों आदि जैसे उधार की कीमत, समय, तरीके, स्रोत का निर्णय करना।
ऋण समिति	<ol style="list-style-type: none"> 1. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक 2. निदेशक (वित्त) 3. निदेशक (तकनीकी) और 4. सरकार द्वारा नामित एक निदेशक(जिसके कोरम में तीन निदेशक होते हैं, जिसमें अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और एक सरकारी नामिती निदेशक शामिल होते हैं) 	एकल स्कीम/केंद्रीय परियोजना/राज्य सरकारी विद्युत यूटिलिटीयों के लिए 150 करोड़ से अधिक लेकिन प्रत्येक मामले में 500 करोड़ रूपए तक और एकल स्कीम/प्राइवेट क्षेत्र की परियोजना के लिए प्रत्येक मामले में रूपए 100 करोड़ लेकिन 500 करोड़ रूपए तक की मंजूरी करने (संवीक्षा समिति की सिफारिश पर) के प्रयोजनार्थ गठित
मा.सं. उप समिति	<ol style="list-style-type: none"> 1. श्री हरि दास खुंटेटा - निदेशक (वित्त)-अध्यक्ष 	कर्मचारियों के हितलाभों/सुविधाओं, जो मोटे तौर पर तुलनीय कंपनियों के अनुरूप

	<p>2.श्री पी.आर.बालासुब्राहमणियन-निदेशक(स्वतंत्र प्रभार) - सदस्य</p> <p>3.डॉ. देवी सिंह--निदेशक(स्वतंत्र प्रभार) -सदस्य</p>	<p>हैं, सहित मानव संसाधन नीतियों के विकास, समीक्षा और संशोधन हेतु गठित, जैसा हमारे ज्ञापन में उनका उल्लेख है, और बोर्ड को ऐसी नीतियां प्रस्तुत करना।</p>
पारिश्रमिक समिति	<p>1.श्री पी.आर.बालासुब्राहमणियन-निदेशक(स्वतंत्र प्रभार) -अध्यक्ष</p> <p>2. श्री हरि दास खुंटेटा - निदेशक (वित्त)-सदस्य</p> <p>3. श्री गुलजीत कपूर-निदेशक(तकनीकी)-सदस्य</p>	<p>लोक उद्यम विभाग द्वारा निर्धारित संशोधित क्रिया विधि के अनुरूप 'वर्ष 20 09 -10 के बाद के लिए कार्यनिष्पादन संबंधी भुगतान'के प्रयोजनार्थ गठित</p>
निदेशकों की समिति	<p>1.श्री पी.आर.बालासुब्राहमणियन-निदेशक(स्वतंत्र प्रभार) -अध्यक्ष</p> <p>2. श्री हरि दास खुंटेटा - निदेशक (वित्त)-सदस्य</p> <p>3. श्री गुलजीत कपूर-निदेशक(तकनीकी)-सदस्य</p>	<p>निम्न प्रयोजनार्थ गठित:-</p> <p>1.अनुलाभों, अधिवर्षिता हितलाभ और अन्य मदें, जिन्हें निदेशक मंडल की 20 अप्रैल, 2009 को आयोजित 348वीं बैठक के प्रस्ताव में शामिल नहीं किया गया, के संशोधन के संबंध में विवरण और तौर तरीके तय करना।</p> <p>2. लोक उद्यम विभाग द्वारा प्रत्येक के संबंध में जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को उपर्युक्त क्रमांक 1 पर उल्लिखित मदों में संशोधन संबंधी सिफारिशें करना।</p>
विद्युत परियोजना में आरईसी द्वारा इक्विटी निवेश की उप समिति	<p>1.श्री हरि दास खुंटेटा - निदेशक (वित्त)-अध्यक्ष</p> <p>2. श्री गुलजीत कपूर-निदेशक(तकनीकी)-सदस्य</p> <p>3. डॉ. देवी सिंह--निदेशक(स्वतंत्र प्रभार) -सदस्य</p>	<p>विद्युत परियोजनाओं में आरईसी द्वारा इक्विटी निवेश के प्रस्ताव के विभिन्न पहलुओं, विस्तृत नियमों एवं शर्तों, जैसी उचित समझे, की जांच और छानबीन एवं आगे विचारार्थ बोर्ड को सिफारिश करने के उद्देश्य से गठित</p>
अन्य समितियां		
आंतरिक संवीक्षा समिति	<p>1. कार्यकारी निदेशक(आरजीजीवीवाई)-सदस्य</p> <p>2. संबंधित प्रभाग का प्रभारी कार्यकारी निदेशक /महाप्रबंधक -सदस्य</p> <p>3.अपर महाप्रबंधक(वित्त)-कैट-सदस्य(कार्यकारी निदेशक(आरजीजीवीवाई)की अनुपस्थिति में कार्यकारी निदेशक(टीएंडडी)सदस्य के रूप में कार्य करेंगे)</p>	<p>शक्तियों के प्रत्यायोजन के अनुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के लिए राज्य/प्राइवेट दोनों के ऋण प्रस्तावों की प्रक्रिया के प्रयोजनार्थ गठित</p>
कार्यकारिणी समिति	<p>1.अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक</p> <p>2. निदेशक (वित्त)</p> <p>3. निदेशक (तकनीकी) और</p> <p>4. कार्यकारी निदेशक (टी एंड डी)</p>	<p>केंद्र/राज्य क्षेत्र की अलग-अलग स्कीम/परियोजना के लिए 150 करोड़ रुपए तक ऋण स्वीकृत करने और प्राइवेट क्षेत्र की अलग-अलग स्कीम/परियोजना के लिए 100 करोड़ रुपए तक के ऋण मंजूर करने के</p>

		प्रयोजनार्थ गठित (संवीक्षा समिति की सिफारिश पर)		
निवेश समिति	निम्नलिखित निवेश हेतु अनुशंसा प्राधिकारी :- 1. महाप्रबंधक (कोष प्रबंधन) - सदस्य 2. उप महाप्रबंधक (ऋण/दावा) - सदस्य 3. बैंकिंग/बॉड का प्रभारी अधिकारी - सचिव	लिखित, अवधि और निवेश की जाने वाली राशि की सिफारिश करने के लिए		
	निवेशों के लिए अनुमोदन प्राधिकारी			
	क्रम सं.	अनुमोदन प्राधिकारी	निवेश सीमा	लिखित अवधि और निवेश की जाने वाली राशि का अनुमोदन करने के लिए
	1.	निदेशक (वित्त)	एक बार में 100 करोड़ रुपए तक	
2.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	एक बार में 250 करोड़ रुपए तक		
3.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (तक.)की समिति, जिसके कोरम में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सहित दो निदेशक भी शामिल हों।	एक बार में 250 करोड़ रुपए से अधिक		
शेयर अंतरण समिति	1. श्री बी.आर.रघुनंदन, कार्यकारी निदेशक एवं कंपनी सचिव 2. श्री अजीत कुमार अग्रवाल, महाप्रबंधक(वित्त)-संसाधन-सदस्य	प्रति व्यक्ति 500 इक्विटी शेयरों से अधिक प्रत्यक्ष(फिजिकल)शेयरों के विखंडन/समेकन और अंतरण के मामले में शेयरधारकों से प्राप्त अनुरोधों पर विचार और अनुमोदन करना।		